

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, पचपहाड़, (झालावाड)
ज़िला - झालावाड
मूल निवास प्रमाण-पत्र



क्रमांक : RJ/2017/राजस्व विभाग/मूल निवास प्रमाण-पत्र/18116608570
दिनांक : 12-06-2018

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विष्णु कुमार सेन पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रामगोपाल निवास - गुराडिया जोगा, राजस्थान का/की मूल निवासी है।

आज दिनांक 12-06-2018 को यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से प्रचलित किया गया।

नोट:

1. राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप -9) विभाग की अधिसूचना संख्या प-15(1)32/गृह-9/61/ पार्ट-2 दिनांक 17.12.2009 के द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप -9) विभाग की आज्ञा संख्या प-15(1)32/गृह-9/61/ पार्ट दिनांक 28 अगस्त 2012 के द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने की मान्यता प्रदान की है। उक्त परिपत्र के तहत जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक जिलाधीश व तहसीलदार मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया हुआ है।
3. उक्त मूल निवास प्रमाण-पत्र शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, योग्यता छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने, केन्द्र/राज्य सेवाओं में नियोजन प्रयोजनों एवं भूमि आदि के आवंटन इत्यादि के प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज जिले के संबंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. मूल निवास एक बार ही बनाया जावेगा। लेकिन प्रमाण-पत्र गुम हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर दोहरी प्रति, प्रमाण-पत्र में नाम या पता बदलने पर संशोधित प्रति तथा आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए नए फोटो के साथ नवीनीकृत प्रति (उक्त नवीनीकृत प्रमाण-पत्र दस वर्ष के उपरान्त ही किया जा सकेगा) बनवाया जा सकता है।
6. सभी प्रयोजनार्थ प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियाँ काम में ली जा सकती है।
7. प्रार्थी को जारी किये गये मूल निवास प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 180121117836

तहसीलदार, पचपहाड़, (झालावाड)

